प्रेषक,

विनोद कुमार–चतुर्थ,
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ ।

विषय :– **कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–१५/३९/२०००–टी.सी.–२ का–४–२०२० दिनॉकित २९.०१.२०२० के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में ।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–१५/३९/२०००–टी.सी.–२ का–४–२०२० दिनॉकित २९.०१.२०२० के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञप्ति–२०२० द्वारा आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । आनलाईन आवेदन सब्मिट करने की अन्तिम तिथि ०३.०३.२०२० है । आवेदक उक्त पद के लिये आवेदन करना चाहता है,जिसके लिये सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ।

अतः श्रीमानजी से विनम्र अनुरोध है कि आवेदक के पक्ष में अबिलम्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, ताकि आवेदक कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–१५/३९/२०००–टी.सी.–२ का–४–२०२० दिनॉकित २९.०१.२०२० के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सदस्य के रिक्त पद पर समय से अपना आनलाईन आवेदन/रजिस्ट्रेशन सब्मिट कर सके । श्रीमान जी की महती कृपा होगी ।

ससम्मान ।

भवदीय

Vinod Kumar 17/02/2020

(विनोद कुमार–चतुर्थ)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ ।
ID NO UP 5707
दि० १७.०२.२०२०

संलग्नक–

कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–१५/३९/२०००–टी.सी.–२ का–४–२०२० दिनॉकित २९.०१.२०२० की स्व–प्रमाणित छाया प्रति ।

Office of the District Judge
BUDAUN
No. 621/II Budaun Dated 17-02-2020
FORWARDED

R.K. Singh
District Judge
BUDAUN

कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-202

दिनांक 29-01-2020

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञप्ति-2020

आनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि 01-02-2020

आवेदन सबमिट करने की अन्तिम तिथि 03-03-2020 कार्मिक विभाग के विज्ञापन संख्या 15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2020 के अन्तर्गत सदस्य के रिक्त होने वाले पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रिक्त होने वाले पदों के लिए आवेदक को केवल एक ही आवेदन सबमिट () करना है। भारत का संविधान के अनुच्छेद-316 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं।

लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद धारित करने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा कर चुके आवेदक, जो कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी पद धारित कर चुके हों, उनके द्वारा आवेदन करते समय अपनी सेवा के अन्तिम 10 वर्षों में धारित पदों का विवरण अवधि सहित अंकित किया जायेगा।

कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

<u>आयु-</u> सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु इच्छुक आवेदक, जो विज्ञापन की तिथि को 62 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं, वे ही आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

<u>पदों की संख्या जिन पर चयन होना है-</u> सदस्य के रिक्त पदों की कुल संख्या 03 है।

<u>वेतन</u> - सदस्य को शासन व आयोग द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते अनुमन्य होंगे।

<u>शुल्क-</u> आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

<u>आनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना-</u>

इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आनलाइन आवेदन पद्धति ( ) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक आनलाइन आवेदन ही करें।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट www.niyuktionline.up.nic.in पर "विज्ञापन विवरण ( )" पर क्लिक करने पर आनलाइन एडवरटाइजमेन्ट स्वतः प्रदर्शित होगा।

यूजर इन्स्ट्रक्शन ( ) में आवेदकों को आनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिये हैं। इसके बाद आवेदक व्यू एडवरटाइजमेन्ट ( ) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन ...त होगा। आवेदन हेतु अप्लाई () पर क्लिक करें। आनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्न प्रकार ...ा जायेगा:-

अप्लाई क्लिक करने पर आवेदक पंजीकरण ( ) का विकल्प आयेगा। उसे क्लिक क
क का बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। फार्म भरने के पश्चात् सबमिट () बटन पर
से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् एप्लीकेन्ट रजिस्ट्रेशन एक्नॉले
त होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लीकेशन फार्म को क्लिक क
ित फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड
। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीनतम, आवक्ष तक पासपोर्ट साइज
ग्राफ (जो 03 माह से अधिक पुराना न हो) तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके 3
। फोटोग्राफ (*., *., *.) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 के0बी0 से अधिक नहीं
ए। आवेदक काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो हस्ताक्षर
ारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आनलाइन आवेदन सिस्टम पर स
होगा।

आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरे जाने होंगे, अतः अनिवार्य कॉलम को छोड़कर जो व
दक से संबंधित न हो या उसमें कोई सूचना भरा जाना अपेक्षित न हो उसमें " अंकित किया ज

आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद 'व्यू एप्लीकेशन फार्म' को क्लिक व
ेदक अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही भरी गयी हैं और पूरी त
ुष्ट होने के बाद आनलाइन आवेदन विभाग को प्रेषित करने हेतु सबमिट बटन को क्लिक करें।

यदि आवेदक द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन सबमिट नहीं हो
सका दायित्व आवेदक का होगा और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करने के पश्चात् संलग्न किये जाने वाले अभिलेख
लोड किये जायेंगे। तत्पश्चात् आवेदक भरे गये अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर अ
सुरक्षित रखें।

आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। किसी विसं
लेए कार्मिक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

एक बार आवेदन फाइनल सबमिट करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा स
न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।

आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य न पाये जाने पर आवेदक को विभाग की च
ा से प्रतिवारित () किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

कों के लिए सामान्य अनुदेश-

आवेदक अपने विवरण के साथ तीन पंक्तियों में अनिवार्य रूप से यह अवश्य अंकित करेंगे ि
किस आधार पर उक्त पद को विशिष्ट रूप से धारित करने के योग्य हैं।

जो आवेदक केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अशासकीय संस्था में सेवार

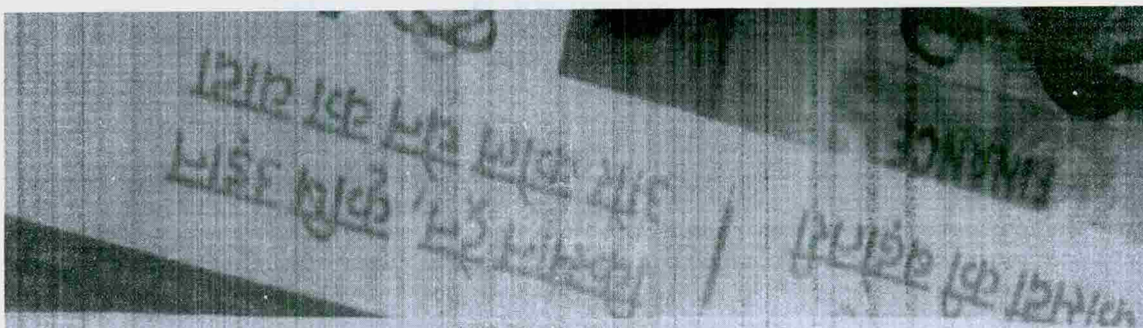

ईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
यु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्व प्रमाणित प्रति अपट
जाय।

भाग से सभी पत्राचार में पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, आवेदक का न
ता/पति का नाम व जन्मतिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

भाग आवेदकों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञा
सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें वि
ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्हः हैं।

कसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्ि
ने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत क
था चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निर
रने तथा चयन से प्रतिवारित () करने का अधिकार कार्मिक विभाग को होगा।

आवेदक के अर्हः/अनर्हः होने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का निर्णय अन्ति
गा।

दि आवेदक को आनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे कार्यालय समय
कार्मिक विभाग के दूरभाष नम्बर 0522-2226228 पर अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्
र सकते हैं।

आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 03-03-2020 है।

सदस्य के रिक्त पदों हेतु पूर्व विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2019 दिनांव
28-09-2019 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन आवेदकों को इस विज्ञाप
में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी।

Self Attested
Vinod Kr
17/02/2020